

सं. 21/118/2013-एम एंड जी


भारत सरकार

गृह मंत्रालय

एन डी सी सी-11 भवन, जयसिंह
रोड, नई दिल्ली
दिनांक 23 अगस्त, 2013

सेवा में,

श्री अमित वाजपेई
309/9 बालू पूर्वाकालोनी
किदवई नगर, कानपुर
(उत्तर प्रदेश)



23/08/2013

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना प्रदान किया जाना।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 20.06.2013 एवं 10.07.2013 के दो आर टी आई आवेदनों हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. पैरा-वार उत्तर निम्नवत है-

1.	यह केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। जहां तक संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों का संबंध है, आपके आर टी आई आवेदन को सूचना प्रदान किए जाने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्रालय को अंतरित किया जा रहा है क्योंकि यह विषय-वस्तु गहनता से उनसे संबंधित है।
2 एवं 3	अपेक्षित सूचना इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास नहीं रखी जाती है और न ही उन्हें इस मामले से संबंधित लोक प्राधिकारी के बारे में जानकारी है।
4.	ऐसी कोई सूची इस केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है।

3. इस मामले में अपील प्राधिकारी श्री एस. सुरेश कुमार, संयुक्त सचिव (सी एस), गृह मंत्रालय, एन डी सी सी-11 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली हैं।

भवदीय,

७८

(आशुतोष जैन)

निदेशक (सी एस-11) एवं

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

दूरभाष: 23438147

प्रति प्रेषित:

10/2012
23/08/13

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, आर टी आई प्रकोष्ठ, संसदीय कार्य मंत्रालय, संसद भवन, नई दिल्ली (मद सं. 1 एवं 4 के संबंध में अंशतः सूचना के लिए)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित-

श्री एस सामंत, अवर सचिव, आर टी आई प्रकोष्ठ, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 10.07.2013 एवं 03.08.2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए. 43020/01/2013-आर टी आई के संदर्भ में।

10/2012
23/08/13

वा मे

आदरणीय जन सूचना अधिकारी
प्रधानमंत्री कार्यालय
भारत सरकार नयी दिल्ली

1

विषय → प्रधानमंत्री भारत सरकार कार्यालय द्वारा
सूचना उपलब्ध कराने के विषय में

- (1) = महोदय यह है की भ्रष्टाचार व दागदार मंत्री, संसद सदस्य की सूची कारण और कार्यवाही / जांच किसके द्वारा की गयी जांच का परिणाम संलग्न की जावे कार्यवाही वजह उन्नीस जानकारी हो सके
- (2) = मंत्री/संसद सदस्य को कितना वेतन दिया जाता है।
- (3) = मंत्री/संसद सदस्य की सुरक्षा में भारत सरकार का प्रतिमाह कितना खर्च हो रहा है और कौन-कौन किस प्रकार की सुरक्षा किसको मिली
- (4) = भ्रष्टाचार व दागदार मंत्री पर प्रधानमंत्री द्वारा क्या कार्यवाही की गयी या नही
- (5) = भ्रष्टाचार्य का वीसक प्रगति को चाटला जा रहा है प्रधानमंत्री जी द्वारा भ्रष्टाचार्य संबन्धि जो भी नियम - कानून - पारित किये गये हो उल्लेख करे संलग्न करे
- (6) = कितनी जांच एजेंसीया भारत में है नाम पता सहित उल्लेख करे
- (7) = दिल्ली रेप कांड के बाद पूरे देश में उठे खंड के बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्योगदेश की दाय्यापती संलग्न करे 3 नवम्बरी 2013
- (8) = प्रतीवर्ष संसद सदस्य या मंत्री को विकला के लिए कितना पैसा दिया जाता है। और कराये गये काम की लमिजा कौन करता है

Muller
L.S.
DPP
MMK
S.P.I.

दिनांक 20/6/2013

संलग्न
B.P.L कार्ड संख्या 184360
संलग्न दाय्यापती
कुल पक्की 3

जायी

शमित राजपेयी
309/9, बाबू पुरवा
छातोनी, किशनगढ़ नगर काठपूर